जलाडी सुगुना

बनाम

सत्य साई केंद्रीय विश्वास और अन्य

(2008 की सिविल अपील सं. 3375)

5 मई, 2008

(आर. वी. रवींद्रन और लोकेश्वर सिंह पांटा,जे. जे.)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

आदेश 22 नियम 4 और 5 विधिक प्रतिनिधि के प्रश्न का निर्धारण -प्रतिवादी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील -वादी- उत्तरदाता की मृत्यु- उच्च न्यायालय द्वारा पहले विधिक प्रतिनिधि की प्रश्न का निर्णय लिए बिना अपील का निर्धारण करना निर्णय: जहाँ उत्तरदाता-वादी जो किसी वाद में सफल हो गया है, अपील के लंबित रहने के दौरान मर जाता है, कोई भी प्रतिवादी द्वारा दायर अपील की सुनवाई पर बिना उत्तरदाता वादी के विधिक प्रतिनिधि को रिकॉर्ड पर लिया, दिया गया निर्णय सुनाया होगा- आदेश 22 के नियम 4 और 5 अनिवार्य हैं-जब एक अपील में उत्तरदाता की मृत्यु हो जाती है, न्यायालय केवल यह नहीं कह सकता है कि यह मृतक प्रत्यर्थी की संपत्ति के लिए सभी प्रतिद्वंद्वी दावेदारों को सुनेगा और अपील का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ें-न ही यह सभी को शामिल कर सकता है विधिक प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले व्यक्ति, पक्षकार के रूप में यह तय किए बिना कि मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, और योग्यता के आधार पर अपील की सुनवाई के लिए आगे बढ़ें-न्यायालय द्वारा यह निर्णय भी स्थगित नहीं किया जा सकता है कि कौन मृत प्रत्यर्थी का विधिक प्रतिनिधि है,अपील के साथ साथ निर्धारण करने हेतु-हालांकि नियम

5 में ऐसा विशेष रूप से प्रदान नहीं है कि विधिक प्रतिनिधि का निर्धारण, अपील की गुण-दोष पर सुनवाई से पहले किया जाये, नियम 4 सपठित नियम 11 यह स्पष्ट करता है कि विधिक प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाए जाने के बाद ही अपील की सुनवाई की जा सकती है- उच्च न्यायालय द्वारा सबसे पहले यह तय करना उचित था कि विधिक प्रतिनिधि कौन थे, अधीनस्थ न्यायालय से निष्कर्ष प्राप्त करने के बाद, उस प्रश्न का निर्णय लेना चाहिए था,और अनुमति प्राप्त व्यक्ति/व्यक्तियों जिनको विधिक प्रतिनिधि माना जाता है को रिकॉर्ड पर लिया जाता-तभी अपील की सुनवाई गुण-दोष पर की जाए-तीसरे प्रतिवादी को अपील की अनुमति देते हुए अंतिम निर्णय के बाद ही मृतक प्रथम उत्तरदाता के विधिक प्रतिनिधि के रूप में जोड़ा गया था-वह एक मृत व्यक्ति के खिलाफ सुनवाई की जा रही अपील के बराबर है-यह स्पष्ट रूप से कानून में अस्वीकार्य है- पूरा निर्णय शून्यता और निष्क्रिय है - मामला उच्च न्यायालय को प्रेषित।

धारा 33 , आदेश 20 नियम 1 और आदेश 41 नियम 30-अपील की सुनवाई-अपील के लंबित रहने के दौरान वादी-प्रतिवादी की मृत्यु- निधार्रित - जब प्रतिवादी-वादी की मृत्यु हो गई और उसकी संपत्ति का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकी सुनवाई हुई- विधिक प्रतिनिधि जो उसकी संपत्ति को प्राप्त हुए, को रिकॉर्ड पर लाना होगा और उन्हें सुना जाना चाहिए मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के रूप में-यदि उनकी सुनवाई नहीं होती है, तो कानून की नजर में अपील की कोई 'सुनवाई' नहीं होती है।-नतीजतन, अधीनस्थ अदालत के फैसले को अपीलीय अदालत द्वारा दरकिनार नहीं किया जा सकता था।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार :सिविल अपील सं 3375 2008 से।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद के अपील संख्या- 294/2000 में निर्णय और आदेश दिनांकित 19/9/2006 से।

एम. एन. राव, वेदुल वेंकट रमन्ना, टी. एन. राव, कविता यादव, मंजीत कृपाल और परमजीत सिंह अपीलार्थी की ओर से।

एस. एस. नागानंद, एम. एन. कृष्णमणि, राघवेंद्र एस. श्रीवत्स, डी. भरत कुमार, आनंद, अजीम एच. लस्कर, एम. इंद्राणी और अभिजीत सेनगुप्ता, उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय का आदेश आर. वी. रवींद्रन, जे. द्वारा दिया गया था।

1. सुना गया।

2. अपीलार्थी जलादी सुगुना के विधिक प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं। उक्त सुगुना ने अधीनस्थ न्यायालय, विजयवाड़ा में एक वाद दायर किया था संख्या 658/1987 घोषणा की मांग करते हुए कि पंजीकृत उपहार विलेख दिनांकित 27.3.1980 जो वादी द्वारा प्रथम उत्तरदाता ट्रस्ट (ट्रस्ट संक्षेप में) के पक्ष में निष्पादित किया गया था वह अमान्य था और परिणामस्वरूप उक्त ट्रस्ट को प्रतिबंधित करने वाले निषेधाज्ञा के लिए कि वह वादी के अधिकारों में हस्तक्षेप ना करे। ट्रस्ट पहला प्रतिवादी था और वाद सम्पत्ति के एक भाग पर कब्जा करने वाला किरायेदार उक्त वाद में दूसरा प्रतिवादी था। उक्त मुक़दमा का निर्णय और डिक्री विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 25.8.1999 को किया जाकर घोषणा की गई कि उक्त उपहार विलेख अमान्य है और ट्रस्ट को उसके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकता है।

3. व्यथित महसूस करते हुए ट्रस्ट ने अपील मुकदमा संख्या 294/2000 आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में दायर किया। सुगुना जो उक्त अपील में पहली प्रतिवादी थी, विचारण के दौरान उसकी दिनांक 21.3.2002 को मृत्यु हो गई। ट्रस्ट ने यहां एक आवेदन दायर किया (सीएमपी संख्या 10258/2002) सुगना के पति (तीसरे उत्तरदाता यहाँ) को उसके विधिक प्रतिनिधि के रूप में अभिलेख पर लाने के लिए।

अपीलार्थी, जो सुगुना की भतीजी और भतीजे हैं, ने एक याचिका(सीएमपी संख्या13807/2002) स्वयं को सुगना के विधिक प्रतिनिधि के रूप में अभिलेख पर दर्ज करने हेतु दायर की। मृतक के पति ने दावा किया कि मृतक की निर्वसीयत मृत्यु हुई है और वह उसका एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी था। संयोग से, उसने मुकदमे में ट्रस्ट का भी समर्थन किया था। अपीलकर्ताओं ने दावा किया कि मृतक ने वसीयत के तहत उन्हें मुक़दमे की संपत्ति विरासत में दी गई और वे मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने और उसकी सुरक्षा करने में रुचि रखते हैं जिसमें मुक़दमे की संपत्ति शामिल थी और उन्हें इसलिए मृतक के विधिक प्रतिनिधि के रूप में रिकॉर्ड पर आने की अनुमति दी जाए। इस प्रकार, एक विवाद था कि मृतक सुगुना के विधिक प्रतिनिधि कौन हैं। इसलिए, उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ अदालत को निर्देश दिया,सिविल प्रक्रिया संहिता (सी. पी. सी. 'संक्षेप में) के आदेश 22 के नियम 5 का परंतुक के तहत उक्त प्रश्न का परीक्षण करने और अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए।

4. तदनुसार, विचारण न्यायालय ने एक जाँच आयोजित की और एक रिपोर्ट दिनांकित 28.11.2005 प्रस्तुत की जिसमें एक निष्कर्ष दर्ज किया गया कि मृतक सुगुना ने दो वसीयतों को निष्पादित किया था जिनकी तारीख 27.4.1989 थी और 24.12.2002 अपीलार्थियों के पक्ष में जिसके तहत मुकदमा संपत्ति उन्हें विरासत में दी गई थी। इस निष्कर्ष पर,उनके मृतक सुगुना के विधिक प्रतिनिधियों के रूप में अभिलेख पर आने के लिए आवेदन स्वीकार किए जाने के योग्य थे।

5. उक्त रिपोर्ट की प्राप्ति पर, उच्च न्यायालय को इस सवाल को आदेश 22 नियम 5 सी.पी.सी. के अन्तर्गत निर्धारित करना आवश्यक था कि मृतक सुगुना के विधिक प्रतिनिधि कौन हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके बजाय, न्यायालय द्वारा मुख्य अपील के साथ-साथ उक्त दो एल. आर. आवेदनों को भी सुना और अपना निर्णय

दिनांकित 19.9.2006 प्रस्तुत किया। फैसले में कहा गया है कि अपील में विचार के लिए निम्नलिखित दो बिंदुओं को तैयार किया गया (i) क्या उपहार विलेख दिनांकित 27.3.1980 शून्य था; और (ii) क्या मुकदमा परिसीमा द्वारा वर्जित था। अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त दो बिंदुओं पर विचार किया और उनका उत्तर ट्रस्ट के पक्ष में सकारात्मक रूप से दिया। इसके बाद, यह संदर्भित किया गया कि अपील के लंबित रहने के दौरान सुगुना की मृत्यु और दो एल.आर. आवेदनों के कारण विवाद उत्पन्न हुआ। दोनों आवेदन के कथन एवं अधीनस्थ अदालत के निष्कर्षको देखा जाकर यह अभिनिर्धारित किया कि वह संतुष्ट नहीं है कि सुगुना ने अपीलार्थियों के पक्ष में किसी भी वसीयत को निष्पादित किया था। नतीजतन, ट्रस्ट द्वारा दायर सीएमपी संख्या 10258/2002 तीसरे प्रतिवादी को मृतक सुगुना के विधिक प्रतिनिधि के रूप में रिकॉर्ड पर लाने के लिए अनुमति दी गई और सीएमपी संख्या 13807/2002 अपीलार्थियों द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विधिक प्रतिनिधि के संबंध में दिया गया निष्कर्ष सारांश प्रकृति का होने पर, अपीलार्थी इस संबंध में विधिक प्रक्रिया अपना कर अपने अधिकार का आंदोलन कर सकता है। उक्त दो बिन्दु पर निष्कर्ष के दृष्टिगत, उच्च न्यायालय द्वारा उपहार विलेख की वैधता को बरकरार रखा, ट्रस्ट की अपील स्वीकार की गई और निचली अदालत के निर्णय को दरकिनार कर दिया। नतीजतन, सुगुना द्वारा दायर मुकदमा खारिज हो गया।

6. उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 19.9.2006 को विशेष अनुमति द्वारा इस अपील में चुनौती दी गई है। अपीलार्थियों की चुनौती तीन-आयामी है। सबसे पहले तो वे सुनवाई में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती दे रहे है कि विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाए बिना पहले गुण-दोष के आधार पर अपील पर निर्णय लिया और उसके बाद विधिक प्रतिनिधि से संबंधित मुद्दा निर्धारित

किया। दूसरा, वे सुगुना के विधिक प्रतिनिधि के फैसले को चुनौती देते हैं। तीसरा, वे उपहार विलेख की वैधता को बनाए रखने और वाद को खारिज करने को चुनौती देते है।

7. हम प्रतिद्वंद्वी विवादों या पहले प्रश्न का उल्लेख कर सकते हैं। अपीलार्थियों के अनुसार, उच्च न्यायालय को मृतक उत्तरदाता की संपत्ति के प्रतिनिधित्व के सवाल का फैसला पहले और उसके बाद ही अपील पर सुनवाई के लिए आगे बढ़े होना चाहिए था। वे प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गई प्रक्रिया के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है क्योंकि उन्हें प्रभावी ढंग से सुनवाई का उचित अवसर नहीं प्राप्त हुआ। दूसरी ओर, उत्तरदाता 1 और 3 का तर्क है कि उच्च न्यायालय द्वारा अपील और एल. आर. आवेदनों पर एक साथ निर्णय लेने में अपनाई गई प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि आदेश 22, नियम 5 का प्रावधान के तहत यहां आवश्यकता नहीं है कि विधिक प्रतिनिधियों के प्रश्न पर निर्णय अपील की सुनवाई से पहले लिया जाता है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि संपत्ति के दोनों प्रतिद्वंद्वी दावेदार, अर्थात् पति (तीसरा प्रत्यर्थी) और भतीजों और भतीजों (अपीलकर्ताओं) का प्रतिनिधित्व वकील द्वारा किया गया था और दोनों को मृतक की संपत्ति के प्रतिनिधित्व का प्रश्न और अपील के गुणागुण पर पूरी तरह से सुना गया था और इसलिए अपीलार्थी किसी भी तरह से पूर्वाग्रहित नहीं थे। पहले बिंदु पर (उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में) पक्षों को सुना जाकर हमारा मत है कि इसअपील का निपटारा उक्त प्रारंभिक बिंदु पर किया जा सकता है और अन्य दो बिंदुओं की जांच करना आवश्यक नहीं है।

8. विधिक प्रतिनिधि ' धारा 2 (11)सी. पी. सी. की परिभाषा के अनुसार ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विधि द्वारा मृतक व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जो मृतक की संपत्ति के साथ हस्तक्षेप करता है। इस

प्रकार एक वसीयत के तहत एक उत्तराधिकारी, जो मृतक वसीयतकर्ता की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने का इरादा रखता है, मृतक की संपत्ति के साथ एक मध्यस्थ होने के नाते, एक विधिक प्रतिनिधि होगा। आदेश 22 सी. पी. सी. अन्य बातों के साथ पक्षकार की मृत्यु से भी संबंधित है। नियम 4 कई प्रतिवादियों में से एक या एकमात्र प्रतिवादी की मृत्युके मामले में प्रक्रिया से संबंधित है। नियम 5 विधिक प्रतिनिधि के प्रश्न के निर्धारण से संबंधित है। नियम 11 आदेश 20 के अनुप्रयोग अपील से संबंधित है। उक्त नियम निम्न प्रकार हैं

> "4. कई प्रतिवादियों में से एक या एकमात्र प्रतिवादी की मृत्यु के मामले में प्रक्रिया:-
>
> (1) जहां दो या दो से अधिक प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार अकेले जीवित प्रतिवादी या प्रतिवादियों के खिलाफ नहीं बचता है, या एकमात्र प्रतिवादी या एकमात्र जीवित प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार बच जाता है, तो अदालत, एक आवेदन पर उस संबंध में, मृत प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधि को एक पक्ष बनाया जाएगा और मुकदमे को आगे बढ़ाया जाएगा।
>
> (2) इस प्रकार बनाया गया कोई भी व्यक्ति मृत प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में अपने चरित्र के अनुरूप कोई भी बचाव कर सकता है।
>
> 5. कानूनी प्रतिनिधि के रूप में प्रश्न का निर्धारण.-जहां यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति मृत वादी या मृत प्रतिवादी का कानूनी प्रतिनिधि है या नहीं, ऐसा प्रश्न न्यायालय द्वारा निर्धारित किया

जाएगा: बशर्ते कि जहां ऐसा प्रश्न अपीलीय न्यायालय के समक्ष उठता है, वह न्यायालय, पहले प्रश्न का निर्धारण करते हुए, किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को प्रश्न का परीक्षण करने और ऐसे परीक्षण में दर्ज साक्ष्य, यदि कोई हो, के साथ रिकॉर्ड, उसके निष्कर्ष और उसके कारणों को वापस करने का निर्देश दे सकता है, और अपीलीय न्यायालय प्रश्न का निर्धारण करते समय इसे ध्यान में रख सकता है।

11. अपीलों पर आदेश का आवेदन-आवेदन में अपील के लिए इस आदेश का शब्द, जहाँ तक हो सके,' वादी को एक अपीलार्थी, शब्द को शामिल करने के लिए अभिनिर्धारित किया जाएगा प्रतिवादी 'एक प्रतिवादी', शब्द 'सूट' एक अपील।" [जोर दिया गया]

9. जब अपील में एक प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है, और मुकदमा करने का अधिकार जीवित रहता है, तो मृतक के विधिक प्रतिनिधि को अपील में आगे बढाने से पहले अदालत के समक्ष रिकॉर्ड पर लाया जाना चाहिए। जहाँ उत्तरदाता-वादी जो एक सूट में सफल हुआ है, अपील की विचाराधीनता के दौरान मर जाता है, प्रतिवादी द्वारा दायर अपील की सुनवाई पर दिया गया कोई भी निर्णय मृतक वादी-उत्तरदाता, के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाए बिना शून्य होगा। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील,में पहला उत्तरदाता (सुगुना) प्रतिद्वंद्वी उत्तरदाता थी और दूसरा प्रत्यर्थी (किरायेदार) केवल एक प्रोफार्मा प्रत्यर्थी था। जब पहली बार अपील में उत्तरदाता की मृत्यु हो गई, अपील पर मुकदमा चलाने का अधिकार उसकी संपत्ति के खिलाफ बच गई। इसलिए अपील कार्यवाही के लिए मृतक सुगुना के विधिक प्रतिनिधि को अभिलेख पर लाना आवश्यक था।

10. विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने के लिए आवेदन दायर करना, विधिक प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड में लाने के बराबर नहीं है। जब एल.आर. आवेदन दायर किया जाता है, तो अदालत को इस पर विचार करना चाहिए और तय करें कि क्या इसमें नामित व्यक्ति विधिक प्रतिनिधियों को मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए अभिलेख पर लाया जाना चाहिए। जब तक ऐसा निर्णय नहीं लिया जाता, विधिक प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले व्यक्ति को मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है, न ही मुकदमा चलाएँ या मामले का बचाव करें। यदि इस बात पर विवाद है कि कानूनी प्रतिनिधि कौन है, तो इस पर निर्णय लिया जाना चाहिए। केवल तभी जब विधिक प्रतिनिधि का प्रश्न न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है और ऐसे विधिक प्रतिनिधि को अभिलेख पर लाया जाता है, यह कहा जा सकता है कि मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व किया है। आदेश 22 नियम 5 के तहत विधिक प्रतिनिधि कौन है, इसका निर्धारण निश्चित रूप से सीमित उद्देश्य के लिए होगा कि मृतक की संपत्ति के प्रतिनिधित्व का, उस मामले के निर्णय के लिए। इस तरह के सीमित उद्देश्य के लिए निर्धारण विधिक प्रतिनिधि को संपत्ति का कोई भी अधिकार जो वाद का विषय है प्रदान नहीं करेगा।

11. आदेश 22 के नियम 4 और 5 के प्रावधान अनिवार्य हैं। जब किसी अपील में उत्तरदाता की मृत्यु हो जाती है, तो न्यायालय बस यह नहीं कह सकते कि यह मृतक प्रत्यर्थी का संपत्ति के सभी प्रतिद्वंद्वी दावेदारों को सुनेगा और अपील निपटाने के लिए आगे बढेग। न ही यह उन सभी व्यक्तियों को अपील के पक्षकार के रूप में शामिल कर सकता है जो विधिक प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, यह तय किए बिना कि कौन मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करेगा, और गुण-दोष पर अपील सुनवाई के लिए आगे बढ़ेगा। अदालत भी निर्णय कि मृतक का कानूनी प्रतिनिधि कौन है स्थगित नहीं कर सकती है योग्यता के आधार पर अपील के साथ निर्णय लेने के लिए।संहिता स्पष्ट

रूप से प्रदान करती है कि जहां कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति किसी मृत प्रत्यर्थीका कानूनी प्रतिनिधि हो या नहीं, इस तरह के प्रश्न का निर्धारण अदालत द्वारा किया जाएगा। संहिता यह भी प्रदान करती है कि जहाँ उत्तरदाताओं में से एक की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार उनके खिलाफ जीवित नहीं रहता है। न्यायालय द्वारा आवेदन पर मृत उत्तरदाता के विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार बनाया जायेगा और फिर मामले के साथ आगे बढ़ें। हालांकि नियम 5 विशेष रूप से उस निर्धारण का प्रावधान नहीं करता है कि कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के बाद ही सुनवाई की जा सकती है।

12. तीसरा प्रत्यर्थी, जो मृतक का पति है, एकल के रूप में अपनी क्षमता मृतक का कानूनी उत्तराधिकारी में रिकॉर्ड पर आना चाहता है, और ट्रस्ट के मामले का समर्थन करना कि मृतक द्वारा इसके पक्ष में एक वैध उपहार था। जिस पर दूसरी ओर, अपीलार्थी वसीयतनामा के उत्तराधिकारी जिनके पक्ष में मुकदमा संपत्ति थी अभिलेख पर आना चाहते हैं और मृतक सुगुना की संपत्ति का प्रतिनिधित्व मध्यस्थों के रूप में करते है। वे अपील तक प्रतियोगिता जारी रखना चाहते हैं। जब सुगुना-अपील में पहली प्रतिवादी की मृत्यु उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपील के दौरान हुई, उच्च न्यायालय के लिए उचित मार्ग यह तय करना था कि उसके विधिक प्रतिनिधि कौन थे।

इस उद्देश्य के लिए उच्च न्यायालय, जैसा कि वास्तव में उसने किया था, आदेश 22 सी. पी. सी नियम 5 के परंतुक के तहत अधीनस्थ न्यायालय को निष्कर्षों को सुरक्षित करने के लिए प्रश्न रैफर किया। निष्कर्ष प्राप्त करने के बाद, न्यायालय को उस प्रश्न का निर्णय लेना चाहिए था, और जिन्हें विधिक प्रतिनिधि माना जाता है, व्यक्ति को रिकॉर्ड पर लाने की अनुमति देनी चाहिए थी। केवल तभी अपील में मृत प्रतिवादी की संपत्ति का प्रतिनिधित्व होगा। अपील की सुनवाई गुण-दोष के आधार पर विधिक प्रतिनिधियों

के बाद ही की जा सकती थी। परन्तु हस्तगत प्रकरण में जिस दिनांक पर अपील की सुनवाई और निर्णय हुआ, पहले उत्तरदाता की मृत्यु हो चुकी थी, यद्यपि उसकी संपत्ति के दावेदारों ने उसका प्रतिनिधित्व करने का दावा किया था परन्तु, प्रश्न कि विधिक प्रतिनिधि किसे होना चाहिए अनिश्चित छोड़ दिया गया था, और परिणामस्वरूप मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। मृतक प्रथम उत्तरदाता के विधिक प्रतिनिधि के रूप में तीसरे प्रत्यर्थी को अपील स्वीकार करने वाले अंतिम निर्णय के बाद ही रिकॉर्ड पर लिया गया था। यह एक मृत व्यक्ति के खिलाफ सुनवाई की जा रही अपील के बराबर है। यह स्पष्ट रूप से कानून में अस्वीकार्य है। इसलिए हम मानते हैं कि पूरा निर्णय एक शून्य और निष्क्रियता है।

13. हम इसे एक और दृष्टिकोण से देख सकते हैं। मुकदमे में सुगुना द्वारा मांगी गई राहत एक ऐसी थी जिसके संबंध में मुकदमा करने का अधिकार उसके विधिक प्रतिनिधियों के पास रहता यदि वाद के लंबित रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने सफलतापूर्वक मुकदमा चलाया और विलेख की शून्य घोषणा करने वाली डिक्री प्राप्त की। इस आदेश को पीड़ित पक्ष द्वारा दायर एक अपील से रद्द करवाया जा सकता है लेकिन केवल वादी जिसने डिक्री को सुरक्षित किया था, को सुनवाई का अवसर देने के बाद । किसी मामले में निर्णय की घोषणा, मामले की सुनवाई के बाद ही की जा सकती है। (धारा 33, आदेश 20 नियम 1 और आदेश 41 नियम 30 सीपीसी के माध्यम से)। जब उत्तरदाता-वादी की मृत्यु हो गई और उसकी संपत्ति का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपील पर 'सुना है'। जब उत्तरदाता-वादी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी संपत्ति को प्राप्त होने वाले विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाया जाता है और उन्हें मृतक वादी की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के रूप में उनकी क्षमता में सुना जाना चाहिए। अगर उनकी सुनवाई नहीं

की जाती है, तो विधि की नजर में अपील की कोई 'सुनवाई' नहीं होती है। नतीजतन अधीनस्थ अदालत का फैसला अपीलीय न्यायालय द्वारा रद्द या अपास्त नहीं हो सका।

14. हम, तदनुसार, इस अपील को स्वीकार करते हैं और निर्णय दिनांक 19.9.2006 को खारिज करते हैं, फाइल निम्नलिखित निर्देशों के साथ अपील उच्च न्यायालय को पुनः प्रेषित हो:

(i) उच्च न्यायालय पहले मृतक का पति और दूसरी ओर उसकी भतीजी और भतीजेके बीच के विवाद का फैसला करेगा। विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित और सुनवाई कर प्राप्त साक्ष्य और निष्कर्षों दिनांकित 28.11.2005 पर विचार करने के बाद।

(ii) इस तरह के निर्धारण के बाद, व्यक्ति निर्धारित किया जाये जो संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने का हकदार व्यक्ति हो एवं मृतक के विधिक प्रतिनिधि के रूप में रिकॉर्ड पर लाया जाएगा।

(iii) इसके बाद, अपील की सुनवाई गुण-दोष के आधार पर की जाएगी और कानून के अनुसार निपटाया जायेगा।

15. तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय से अपील का निपटारा छह महीने की अवधि में करने का अनुरोध करते है। ऊपर बताई गई किसी भी बात को मामले के गुण-दोष पर किसी भी राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। हम यह भी स्पष्ट करें कि उच्च न्यायालय द्वारा मृतक की संपत्ति प्रतिनिधित्व के रूप मे निर्धारण केवल उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के उद्देश्य के लिए होगा और यहाँ किसी भी तरह से संपत्ति के दावेदारों के अधिकारों या किसी स्वतंत्र कार्यवाही में उनके बीच किसी भी विवाद को प्रभावित नहीं करेगा। संबंधित पक्ष अपना अपना खर्चा वहन करेंगें।

आर. पी. उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रिदम अनेजा (आर.जे.एस.), द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।